भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1210

जिसका उत्तर गुरुवार, 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

अवमानना संबंधी कार्यवाही हेतु दिशानिर्देश

1210 डा. अमी याज्ञिक :

श्रीमती फूलो देवो नेतम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को व्यंग्य चित्रकारों, हास्य अभिनेताओं और अन्य कलाकारों के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही संबंधी सहमति प्रदान करने के संबंध में भारत के महान्यायवादी की और से कोई सूचना प्राप्त हुई है अथवा सरकार ने कोई सूचना दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में अवमानना कार्यवाही को सहमति प्रदान करने हेतु कोई परामर्श अथवा दिशानिर्देश जारी किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड) वर्ष 2005 से उच्चतम न्यायालय में भारत के महान्यायवादी द्वारा वर्ष-वार कुल कितनी अवमानना कार्यवाही को सहमति प्रदान की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : अवमान कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए सहमति प्रदान करने की शक्ति, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अधीन भारत के महान्यायवादी को प्रदत्त की गई कानूनी शक्ति है । यह ऐसी शक्ति है, जिसका प्रयोग महान्यायवादी द्वारा अन्नयत: उसके सर्वोत्तम विवेकानुसार किया जाना है, और न कि

ऐसी शक्ति है, जो भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का विषय हो सकती है । अत:, महान्यायवादी द्वारा सरकार को न तो कोई संसूचना भेजी गई है, न ही सरकार ने दांडिक अवमान कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए सहमति प्रदान करने के संबंध में महान्यायवादी को कोई संसूचना जारी की है ।

(ग) और (घ) : भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित कारणों के लिए, सरकार द्वारा, ऐसी कोई एडवाइजरी या मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं दिए जा सकते हैं ।

(ङ) : वर्ष 2005 से जून, 2017 तक, पूर्व महान्यायवादी द्वारा ऐसी अवमान कार्यवाहियों, जिनको सहमति दी गई थी, की कुल संख्या के बारे में कोई जानकारी या विशिष्टियां उपलब्ध नहीं है । श्री के.के. वेणुगोपाल, को 1 जुलाई, 2017 को भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया था । वर्ष 2017, वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के दौरान, उन्होंने कोई सहमति प्रदान नहीं की थी ।

वर्ष 2020 में, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 41 अनुरोधों में से केवल निम्नलिखित मामलों के लिए, उन्होंने न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अधीन सहमति प्रदान की है :

(i) श्री कुनाल कामरा द्वारा किए गए ट्वीट तारीख 11.11.2020 के संबंध में, श्री अभ्युद्य मिश्रा, श्री अमे अभय सुसीकर, श्री प्रतीक बसाले, श्री स्कंद बाजपेयी, श्री अभिषेक शरद रश्कर, सुश्री नितिका दुहान, श्री श्रीरंग कटनेश्वरकर, और श्री सतेन्द्र विनायक मूले को 12.11.2020 को सहमति प्रदान की गई है ।

(ii) श्री कुनाल कामरा द्वारा किए गए ट्वीट तारीख 18.11.2020 के संबंध में, श्री अभ्युद्य मिश्रा और श्री स्कंद बाजपेयी को 18.11.2020 को सहमति प्रदान की गई है ।

(iii) सुश्री रचिता तनेजा द्वारा किए गए ट्वीट तारीख 11.11.2020 के संबंध में, श्री आदित्य कश्यप को 01.12.2020 को सहमति प्रदान की गई है ।

.....